



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271679
CG-DL-E-10042026-271679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1752]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1752]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

का.आ. 1820(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित खंड (1) के उप खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एक नामित सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए, राज्यसभा में श्री हरिवंश को नामित करती हैं।

[फा. सं. 2/3/2026-एम् एंड जी]

हृदेश कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2026

S.O. 1820(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that article, the President is pleased to nominate Shri Harivansh to the Council of States to fill the vacancy caused due to retirement of one of the nominated member.

[F. No. 2/3/2026-M&G]

HIRDESH KUMAR, Addl. Secy.